न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान रामस्वरूप बनाम संतोष आदि

अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 157 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रमाणित पत्रावली एवं दिनांक
24.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि दादालाई भूमि है जिसमें अपीलाण्ट का हक हिस्सा है। प्रार्थी अपीलाण्ट खातेदार कातश्कार है के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित होने से प्रार्थी अपीलाण्ट के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है जिससे प्रार्थी अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन आदेश को ताफैसला अपील कन्फर्म किया जावे। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट/प्रार्थी की खातेदारी ना होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को विरास्तन में प्राप्त हुई है। जिसमें अप्रार्थीया व रामप्रताप के सभी पुत्र पुत्रियों का रेस्पोडेण्ट रामप्रताप के साथ जन्म से हक व हिस्सा है व प्रथम दृष्टया मामला सुविधा कस संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में साबित है व अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र में एक शब्द नहीं बताया है कि वह किस तरह से प्रभावित है व अपने पिता के नाम दर्ज भूमि के संबंध में उसे किस प्रकार से अपील प्रस्तुत करने का श्रवणाधिकार है। अपीलाण्ट अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश नहीं है वह प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत भूमि में अपना हक हिस्सा होने का कथन करते हुए यह अपील पेश की है जिसमें	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक दिनांक 19/06/2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 2 को विरासतन में प्राप्त हुई, जिसमें रेस्पोडेण्ट व रामप्रताप के सभी पुत्र पुत्रियों का रेस्पोडेण्ट रामप्रताप के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह नहीं बताया है कि वह किस तरह से प्रभावित है व अपने पिता के नाम दर्ज भूम के संबंध में उसे किस प्रकार से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

24.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़